नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, बेली गारद काटेज, निकट बलरामपुर डफरिन अस्पताल, गोलागंज (रेजीडेन्सी परिसर), लखनऊ के प्रांगण में खड़े कार्य अयोग्य वाहन जहाँ भी है, जैसी भी स्थिति में है, की नीलामी दिनांक 08.02.2016 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, बेली गारद काटेज, निकट बलरामपुर डफरिन अस्पताल, गोलागंज (रेजीडेन्सी परिसर), लखनऊ के प्रांगण में अपरान्ह 3:00 बजे नीलामी समिति द्वारा करायी जायेगी । नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति रूपये 5,000/- जमानत धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के पक्ष में देय हो, दिनांक 08.02.2016 को पूर्वान्ह 12:00 बजे तक कार्यालय अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, लखनऊ मण्डल, नवां तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ में पैन कार्ड व निवास स्थान प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ जमा कर नीलामी में भाग ले सकते हैं । नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति वाहन का निरीक्षण 05.02.2016 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से 4:00 अपराहन तक कर सकेंगे । वाहन का विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम संख्या	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार
01	**यू0पी032-एस 8861 (वर्ष 1997)**	**मारूती जिप्सी हार्ड टाप**

पूर्व में उक्त वाहन की नीलामी दिनांक 01.02.2016 को अपराह्न 3:00 बजे होनी निश्चित हुई थी जो कि अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गयी थी ।

नीलामी की शर्तें व निम निम्नलिखित है:-

1. वाहन की बोली जहाँ है, जैसी भी स्थिति में है के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बोली जायेगी ।
2. जिन बोलीदाताओं द्वारा पूर्व में रूपये 5000/- जमानत धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से इस कार्यालय में जमा की गयी है वे दिनांक 08.02.2016 को होने वाली नीलामी में भाग लेने के पात्र होगें ।
3. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त जमानत धनराशि स्वीकार नहीं की जायेगी ।
4. उच्चतम बोली की 50% की धनराशि बोली समाप्ति के पश्चात् उसी समय नगद जमा की जानी होगी । शेष धनराशि 07 दिन के अन्दर अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमाकर वाहन उठाना होगा । जमानत की धनराशि बोली में समायोजित कर ली जायेगी ।
5. दिनांक 08.02.2016 को अपराहन 3:00 बजे नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता एक सील बन्द लिफाफे में वाहन का न्यूनतम मूल्य अंकित कर नीलामी स्थल पर रखे बाक्स में डालेंगे । समस्त बालीदाताओं द्वारा अंकित किये न्यूनतम मूल्य में सर्वोच्च मूल्य एवं RTO द्वारा निर्धारित मूल्य में से जो भी अधिक होगा उस राशि से आगे बोली लगायी जा सकेगी ।
6. नीलामी बोली समाप्त होने के उपरान्त गाड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्रेता की होगी ।
7. निर्धारित समय के अंदर वाहन न उठाने अथवा अवशेष धनराशि न जमा करने पर जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी और दूसरे स्थान पर बोली बोलने वाले बोलीदाता को अवसर दिया जायेगा । इस पर भी नीलामी सम्बन्धी वही शर्तें लागू होंगी ।
8. अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को उक्त नीलामी को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार होगा ।
9. प्रथम व द्वितीय बोलीदाता की जमानत धनराशि को छोड़कर अन्य बोली दाताओं की जमानत धनराशि नीलामी समाप्त होने के उपरान्त वापस कर दी जायेगी ।
10. वाहन को नीलाम किये जाने अथवा न किये जाने का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा ।
11. बोलीदाता के साथ किसी अन्य व्यक्ति को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी ।

अधीक्षण पुरातत्वविद्, 2/2/16
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ